

गंक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
2.08.2024	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 96/2008 ब-उनवानी गोविन्दराम बनाम रामकुंवार व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। नोटिस विपक्षीगण रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)</p>	
19.9.24	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी आधिकारता उपर है। प्रार्थी आधिकारता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी किशन गढ रेनवाल के पीठासीन अधिकारी की अभिमन्यु सिंह कुन्तल R.A.S का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप खण्ड अधिकारी किशन गढ रेनवाल के पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से प्रार्थी द्वारा उनके विरुद्ध प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर ले कम है।</p> <p style="text-align: center;">डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)</p>	